झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 48 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री मन्दीप सिंह एवं अन्य
ग्राम - दुम्बी, पँचायत - कोपे
प्र० - मनिका, जिला - लातेहार

DISPOSED

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
लातेहार।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
27.07.2023		

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
कैम्प कार्यालय, लातेहार
वाद सं0–48/2023

दिनांक–27.07.2023 को लातेहार परिसदन भवन में आयोग द्वारा सुनवाई एवं जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान नरेगा सहायता केन्द्र मनिका के माध्यम से कुल–18 परिवाद पत्रों की सूची एवं इनकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराए गये सूची में आयोग को व्हाटसएप्प के माध्यम से पूर्व प्रेषित परिवाद पत्रों का उल्लेख है। सूची में क्रमांक–18 में श्री मंदीप सिंह, ग्राम–दुम्बी, पंचायत–कोपे, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार के परिवाद पत्र का उल्लेख है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें 02 माह से राशन नहीं दिया गया। इसके साथ–साथ मनरेगा सहायता केन्द्र, मनिका द्वारा ही डीलर बसंती महिला SHG से सम्बन्धित चार परिवाद–पत्र भी प्राप्त हैं। श्री मंदीप सिंह का परिवाद–पत्र भी इसमें शामिल है।

चारों परिवाद–पत्रों में मई, जून तथा जुलाई के ई–पॉस मशीन में अंगुलियों के निशान लगवाकर राशन नहीं देने का आरोप लगाया गया है। उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को आदेश दिया गया कि मामले की गंभीरता से जाँच की जाए। जाँचोपरान्त परिवादीगण का आरोप सही पाए जाने पर जितने मात्रा का राशन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है, उसका मुआवजा उन्हें उपलब्ध कराया जाए। अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार अगली निर्धारित तिथि दिनांक–12.9.23 से पूर्व कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन निश्चित रूप से उपलब्ध कराएँ।

दिनांक–12.9.23 को रखें। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx39

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
23.08.2023	**वाद संख्या–48 / 2023** दिनांक–11.09.2023 से दिनांक–14.09.2023 तक आयोग का पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। इसके बाद माह सितम्बर, 2023 की अन्य तिथियों में भी अन्य कई जिलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। सितम्बर माह में निर्धारित क्षेत्र भ्रमण के कारण दिनांक–12.09.2023 के बाद माह सितम्बर में सुनवाई संभव नहीं हो पा रहा है। अतः न्याय में विलंब को टालने के उद्देश्य से इस मामले में सुनवाई की तिथि दिनांक–12.09.2023 के स्थान पर दिनांक–08.09.2023 को अपराह्न 12:00 बजे निर्धारित की जाती है। उभय पक्ष को सूचित करें। दिनांक–08.09.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
08-09-2023	**वाद सं0–48 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर श्री मन्दीप सिंह एवं अन्य, ग्राम–दुम्बी, पंचायत–कोपे, प्र0–मनिका, जिला–लातेहार telephone के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार ने आयोग को प्रमाण दिखाते हुए ये बताया की शिकायतकर्ता को जून माह का राशन दे दिया गया है, जबकि जुलाई माह का राशन इसलिए उपलब्ध नहीं हो पाया कि वो राशन लेने गये ही नहीं। जबकि शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि वो जब राशन लेने डीलर के यहाँ गये तो उन्हें डीलर द्वारा यह बताया गया कि E-POS मशीन load नहीं ले रहा है। इस आवेदन के साथ श्रवण सिंह, सोमर सिंह एवं चमनी देवी का भी आवेदन संलग्न है। सोमर सिंह ने अपने आवेदन में लिखा है कि उन्हें जुलाई 2023 का राशन अँगुठा लगाकर भी नहीं दिया गया है तथा पावती रशीद भी नहीं दी गई। चमनी देवी ने अपने आवेदन में ये लिखा है कि उन्हें मई, जून एवं जुलाई माह का राशन नहीं दिया गया है, जबकि E-POS मशीन में उनसे अँगुठा लगवा लिया गया। उन्होंने राशन कार्ड में भी बिना राशन दिये कार्ड में चढ़ा दिये जाने की बात लिखी है। श्रवण सिंह / एता सिंह ने भी जून और जुलाई माह का भी राशन नहीं देने की शिकायत की है। उन्होंने अपने शिकायत पत्र में ये लिखा है कि डीलर से पूछने पर डीलर बताता है कि राशन नहीं आया है। आयोग सभी आवेदन की छायाप्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी को हाथों–हाथ उपलब्ध कराने का निर्देश देता है साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वो सभी शिकायतकर्ता को राशन मुआवजा के साथ उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण लेकर 03.10.2023 के सुनवाई में उपस्थित हों। यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने 03.10.2023 को सभी शिकायतकर्ताओं को मुआवजा सहित राशन उपलब्ध नहीं कराया तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने को बाध्य होगा। आयोग सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को आदेश की प्रति भेजते हुए निर्देश देता है कि भविष्य में अलग–अलग शिकायतकर्ताओं के शिकायत पत्र के आधार पर अलग–अलग वाद प्रारम्भ करें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–03.10.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–03.10.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx43

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–48 / 2023	
03.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री मन्दीप सिंह एवं अन्य, ग्राम–दुम्बी, पंचायत–कोपे, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के दिनांक–08.09.2023 के आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार ने आयोग द्वारा निर्देशित सभी लाभुकों को उनका बकाया राशन मुआवजा सहित उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण पेश किया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रमाण में सभी लाभुकों ने अपने हस्ताक्षर के माध्यम से यह माना है कि उन्हें जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बकाया राशन उपलब्ध करा दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन के साथ शिकायतकर्ता द्वारा पावती की प्रति भी संलग्न है। आयोग के निर्देश के अनुपालन कर दिये जाने के कारण आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx110	